न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 04/2017 (अं.धारा 177 रा.का.अ.)

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

बनाम

1. किशोरीलाल
2. उमादत
3. विश्वनाथ
4. गोकुलचन्द
5. रमेशाचन्द
6. कमलकुमार
7. भरतकुमार पुत्रान परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन निवासी डूण्डलोद
8. सुमित्रा
9. ललिता
10. राज पुत्रियां परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन निवासी डूण्डलोद
11. गिरधारीलाल पुत्र रामलाल इन्दोरिया जाति ब्राहमण निवासी डूण्डलोद तह0 नवलगढ जिला झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एडवोकेट आवेदक :— राज पैरोकार नायब तहसीलदार नवलगढ
एडवोकेट अनावेदकगण :— श्री अशोक कुमार जांगिड

आदेश

दिनांक 21.06.2019

आवेदक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 697 रकबा 0.61 है0 किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी किशोरीलाल पुत्र परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया गिरधारीलाल इन्दोरिया पुत्र रामलाल इन्दोरिया जाति ब्राहमण उमादत विश्वनाथ गोकुलचन्द रमेशचन्द कमलकुमार भरतकुमार पुत्रगण परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन सा.देह खातेदार सुमित्रा ललिता राज पुत्रियां परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन सा0दे0 खोतदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित आराजी अनावेदक नं. 1 लगायत 11 की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि रही है जो आवेदक नं. 1 लगायत 11 को शरह लगान के बदले काश्त करने हेतु खातेदारी में दी गई थी। जिसको काश्त के अलावा किसी भी दीगर कार्य हेतु उपयोग में लेने से पूर्व को नियमानुसार किस्म परिवर्तन करवाकर ही कायम में लिया जा सकता है अन्यथा उक्त भूमि को कृषि के अलावा किसी अकृषिक कार्य प्रयोजनार्थ प्रयोग में नही लिया जा सकता है। उपरोक्त आराजी को अनावेदक नं. 11 ने राजस्थान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 0.20 है0 भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ काम में लेते हुये प्लॉटिंग करके उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। जिसकी किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति राजस्थान सरकार से प्राप्त नही की है। मनमर्जी मुताबिक भूमि की किस्म परिवर्तित कर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत राज्य सरकार की शर्तो का खुला उल्लंघन किया गया है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। ऐसी हालत में अनावेदक को उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी से वेदखल कर भूमि को राज्य सरकार के हक में दर्ज कियां जाना आवश्यक है व न्यायोचित है। इसलिये आवेदक के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्त भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ काम मे लेने पर राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 90क के अंतर्गत प्रकरण सं0 08/2015 राज0 सरकार बनाम किशोरीलाल पुत्र परमेश्वरी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन निवासी डूण्डलोद आदि के नाम दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल के बावजूद न तो उपस्थित हुये तथा न ही कोई जवाब नोटिस पेश किया एवं न ही अनावेदकगण ने उक्त प्लॉटिंग को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया है। अतः ऐसी हालत में अनावेदकगण के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम डूण्डलोद की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 697 रकबा 0.61 है0 किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी किशोरीलाल पुत्र परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया गिरधारीलाल इन्दोरिया पुत्र रामलाल इन्दोरिया जाति ब्राहमण उमादत विश्वनाथ गोकुलचन्द रमेशचन्द कमलकुमार भरतकुमार पुत्रगण परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन सा.देह खातेदार सुमित्रा ललिता राज पुत्रियां परमेश्वरीदेवी पत्नी स्व0 बजरंगलाल तोलासरिया जाति महाजन सा0दे0 खोतदार के नाम दर्ज रिकार्ड है से बिना अनुमति की खातेदारी भूमि से बेदखल कर राजस्थान सरकार के हक में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनवेदक की गई। अनावेदक की और से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड का वकालतनामा तथा जबाब प्रार्थनापत्र पेश किया जाकर वर्णित किया गया कि ख. न. 697 ग्राम डूण्डलोद में स्थित है। ख.न. 697/0.76 है0 में से 0.15 है0 किस्म वाणिज्य व 0.61 है0 किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि अनावेदकगण नं. 1 लगायत 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खातेदार केवल भूमि के विकास के लिये व पशुओं के लिये भूमि 1/20हिस्सा पर निर्माण कर भूमि मे सुधार कर सकता है जिसके लिये अनुमति आवश्यक नही है। अनावेदकगण द्वारा मौके पर कोई प्लॉटिंग नही की गई है। ख.न. 697 रकबा अनावेदक नं. 1 लगायत 11 का हिस्सा 0.5180 है0 जिसमें 0.15 है0 भूमि का वाणिज्य रूपान्तरण किया हुआ है। अनावेदक नं. 11 ने कोई अकृषि प्रयोजन में अपनी खातेदारी की भूमि को राज्य सरकार के नियमों के विरूद्ध काम में नही ले रहा है। न्यायालय चाहे तो मौका निरीक्षण कर वस्तुस्थिति जांच कर करवा सकते हैं। जब अनावेदक सं0 11 ने प्लॉटिंग कर ही नही रंखी है और न ही किसी प्रकार की भूमि को कृषि से अकृषि में उपयोग ली जा रही है तो भूमि को राजहक में लेने का आदेश कानूनन नही दिया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से चलने योग्य नही है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार नवलगढ को वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2019/396 दिनांक 20.06.2019 पेश कर वर्णित किया गया कि ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.न. 697 रकबा 0.76 है0 किस्म 0.15 है0 गै0 मु0 वाणिज्य प्रयोजनार्थ, 0.61है0 बा–1 की खातेदारी उमादत पुत्र परमेश्वरीदेवी कमलकुमार किशोरीलाल गोकलचन्द भरतकुमार रमेशचन्द्र विश्वनाथ राज पुत्री बजरंगलाल ललिता पुत्री बजरंगलाल सुमित्रा पुत्री बजरंगलाल जाति महाजन गिरधारीलाल इन्दोरिया पुत्र रामलाल इन्दोरिया जाति ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा में पूर्व मे मिट्टी भराव कर प्लाटिंग की गई थी तथा ग्रेवल सडक डाली गई थी जिसके बाद उक्त खसरा की धारा 177 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त वर्णित भूमि पर 500 व0मी0 पर निर्माण है तथा शेष भूमि में प्लॉटिंग की गई थी तथा ग्रेवल सडक डाली गई थी जिसके बाद उक्त खसरा की अ.धारा 177 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। वर्तमान मे उक्त वर्णित भूमि पर 500 व0मी0 पर निर्माण है तथा शेष भूमि से प्लॉटिंग व ग्रवल हटाकर भूमि को खाली कर दिया गया है। वर्तमान में भूमि पर किसी प्रकार की कोई प्लॉटिंग नही अंकित किया गया है।

जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ आने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी पुत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम डूण्डलोद संवत के अनुसार भूमि ख.न. 697 रकबा 0.76 है0 में 0.15 है0 गै0 वाणिज्य प्रयोजनार्थ व 0.61 है0 की खातेदारी अनावेदकगण नं. 1 लगायत 11 की शामलाती खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। रिपोर्ट नवलगढ के अनुसार वादग्रस्त आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि पर 500 व0मी0 पर निर्माण है तथा से प्लॉटिंग व ग्रेवल हटाकर भूमि को खाली कर दिया गया है। वर्तमान मे भूमि पर किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कोई प्लाटिंग नही होना अंकित किया गया है। अतः मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नही होने आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अनावेदकगण द्वारा यदि वादग्रस्त आराजी पर बिना स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने पर आवेदक पुनः उपरोक्त धारा में प्रार्थना पत्र करने में स्वतंत्र होंगे। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner